(104)

न्यायालय श्री मन् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा मध्य प्रदेश

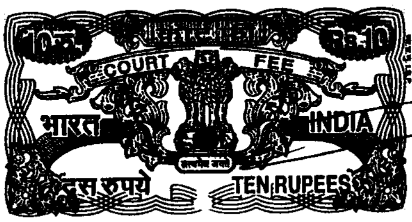

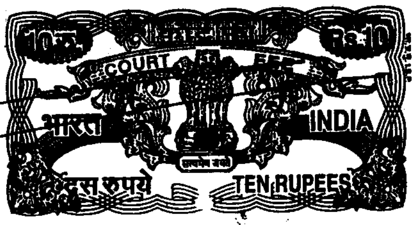

Rs. 20/-

350
24.8.15

R 5002-II/15

1/लल्लासिंह पिता श्री बृजभान सिंह,

2/ रतिभान सिंह पिता रणदमन सिंह

3/ बाबूलाल पनिकापिता श्री अंशू पनिका

समस्त निबासी ग्राम छवारी, तहसील गोपद बनास

जिला सीधी म0प्र0 ——————पुरीक्षण:कर्ता

बनाम,

1/ रामराज पिता अंशू सिंह निबासी ग्राम छवारी, तहसील गोपद बनास जिला सीधी, म0प्र0

2/ मध्य प्रदेश शासन ——————उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका विरूद्व विद्धान न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपद बनास, बृत्त सेमरिया केप्रकरणकमाक 39/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 25/5/15 जिसके तहत सीमांकन पुष्टि आदेश पारित किया गया है ।

श्री महेन्द्र सिंह ....एड द्वारा आज दिनांक 24-8-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तत्थ्य :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5002–दो/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-5-2017	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार गोपदबनास वृत्त सेमरिया के प्रकरण कमांक 39/अ–12/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश के द्वारा नायब तहसीलदार ने अनावेदक के सीमांकन आवेदन पर कार्यवाही उपरांत दिनांक 26–5–15 को सीमांकन की पुष्टि की है। नायब तहसीलदार द्वारा केवल सीमांकन के संबंध में आदेश पारित कर निष्कर्ष निकाला है कि सीमांकन से केवल सीमा का ज्ञान होता है किसी के स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	